કર્મચારી રાજ્ય વીમા નિગમ
(શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય, ભારત સરકાર)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
Email : ms-ankleshwar.gj@esic.nic.in

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C

सत्यमेव जयते

ક.રા.બી.નિ હોસ્પિટલ, અંકલેશ્વર,
પ્લોટ નં.H3012, 500 કવાટર પાસે,
અંકલેશ્વર, જિ. ભરૂચ
क.रा.बी. निगम अस्पताल, प्लाट स. H3012,
500 क्वाटर के पास, अकलेश्वर, जी.भरूच
ESIC Hospital, Plot No. H3012, Nr. 500 Quarters, Ankleshwar, Dist. Bharuch
Website : www.esic.gov.in

375/अ/49/2025/क.रा.बी.नि./अंक/राजभाषारिपोर्टफ़ाइल 07-07-2025

परिपत्र

विषय : मुख्यालय द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट - मार्च 2025 की समीक्षा में राजभाषा नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

संदर्भ- मुख्यालय के पत्र संख्या ए-49/15/02/2019-रा.भा. दिनांकित 28.06.2025।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुख्यालय द्वारा जारी तिमाही प्रगति रिपोर्ट-मार्च 2025 की समीक्षा रिपोर्ट के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि संबंधित शाखाओं द्वारा राजभाषा नियमों के अनुपालन में लापरवाही बरती गई है। विशेष रूप से यह पाया गया है कि:

1. **राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3)** के अंतर्गत **कुल 112** दस्तावेजों में से **14 दस्तावेज़ केवल अँग्रेजी** और **09 दस्तावेज़ केवल हिंदी** में जारी किए गए जबकि धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले **सभी दस्तावेज़ द्विभाषी रूप में ही जारी करना अनिवार्य है। कृपया इस नियम के उल्लंघन से बचें** और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2. **राजभाषा नियम 1976 के नियम-5** के अनुसार **हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का यथा अपेक्षित उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है।** इस तिमाही के दौरान कार्यालय द्वारा **हिंदी में प्राप्त 138 पत्रों का उत्तर अँग्रेजी में दिया गया है। कृपया इस नियम के उल्लंघन से बचें** और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3. 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्र/संघ क्षेत्र और राज्य सरकारों से **अँग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिंदी में दिए जाने आवश्यक हैं।** शाखाओं द्वारा इसका उल्लंघन किया गया है। **'क' एवं 'ख' क्षेत्र से अँग्रेजी में प्राप्त क्रमश: 19 और 25 पत्रों के उत्तर अँग्रेजी में दिए गए हैं।** इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
4. **मूल पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के अनुसार 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालय को हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित) का लक्ष्य 90% है।** कृपया लक्ष्य प्राप्ति करें।
5. **ई-ऑफिस में टिप्पणियाँ पूर्व की भांति हिंदी में ही लिखी जाए। वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के अनुसार 'ख' क्षेत्र में स्थि कार्यालय को हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य 55% है।** कृपया लक्ष्य प्राप्ति करें।

उपरोक्त उल्लंघन न केवल राजभाषा नियमों की अवहेलना है , बल्कि निगम के निदेशों की भी अवज्ञा है। उपरोक्त विषय पर सूचित किया जाता है कि भविष्य में राजभाषा नियमों का उल्लंघन न करें और दिए गए निदेशों को अनुपालन सुनिश्चित करें।

उक्त पत्र चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन से जारी किया गया हैं।

संलग्न: मुख्यालय पत्र।

Digitally signed by
KUMAR KUNJAN
Date: 08-07-2025
12:44:51

(कुमार कुंजन)

उप निदेशक (राजभाषा प्रभारी)

सेवा में,

1. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर।

2. सहायक चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर।

3. सहायक नर्सिंग अधीक्षक, क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर।

4.समस्त सहायक निदेशक एवं शाखा अधिकारी प्रशासन /सामान्य/नकद/वित्त/अतिविशिष्ट/मेडिकल स्टोर एवं सतर्कता शाखा, क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर।

5. नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

6. कार्यालय प्रति।

मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एंव रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
क.रा.बी.नि. Employees' State Insurance Corporation
E.S.I.C. (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
सत्यमेव जयते
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या : ए-49/15/02/2019-रा.भा. दिनांक: .06.2025

सेवा में,

चिकित्सा अधीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल,
अंकलेश्वर, गुजरात।

विषय : हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट- मार्च, 2025 की समीक्षा।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय को भेजी गई हिन्दी **तिमाही प्रगति रिपोर्ट- मार्च, 2025** की समीक्षा करने पर पाया गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई अपेक्षित है:-

1.राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी दस्तावेज
राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कुल 112 दस्तावेजों में से 14 दस्तावेज केवल अंग्रेजी में तथा 09 दस्तावेज़ केवल हिन्दी में जारी किए गए हैं जबकि धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। भविष्य में धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज़ द्विभाषी रूप में ही जारी करना सुनिश्चित करें। (कृपया इस नियम के उल्लंघन से बचें)

2.हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम-5)
राजभाषा नियम 1976 के नियम-5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों का यथा अपेक्षित उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है। आपके कार्यालय में हिंदी में प्राप्त 138 पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया है जबकि हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना अति आवश्यक करें। (कृपया इस नियम के उल्लंघन से बचें)

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने (केवल 'क'एवं 'ख'क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)
'क' एवं 'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त क्रमशः 19 और 25 पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए हैं। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के पहले आठ खंडों और राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 14034/15/87-रा.भा.(क.I) दिनांक 26 फरवरी, 1988 के अनुसरण में 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्र/संघ क्षेत्र और राज्य सरकारों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में दिए जाने आवश्यक हैं। कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. भेजे गए कुल पत्रों का ब्योरा
मूल पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। कृपया वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के बेहतर प्रयास किए जाएँ।

5.फाइलों पर हिंदी में कार्य
कृपया ई-ऑफिस में टिप्पणियाँ पूर्व की भांति हिंदी में ही लिखी जाएँ।

6.हिंदी कार्यशाला
यह सराहनीय है कि तिमाही के दौरान हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई है। कृपया इसे बनाए रखें।

7.विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक
तिमाही के दौरान विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया है,कृपया इसे बनाए रखें।

भाग-II

1. मद संख्या 2(i)(ख) के अनुसार सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हैं जबकि 2(i)(घ) के अनुसार सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए शेष है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

2. कार्यालय में हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए 01 आशुलिपिक और टंकक/लिपिक टंकण प्रशिक्षण के लिए 11 कार्मिक शेष हैं। कृपया इनके प्रशिक्षण की यथाशीघ्र आवश्यक व्यवस्था करें।
3. मद संख्या : सूचना शून्य दी गई है,कृपया अपेक्षित सूचना प्रदान करें।

4. राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों को संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए व्यक्तिगत आदेश जारी नहीं किए गए हैं, कृपया कारण सूचित करें।
5. वर्ष के दौरान किसी भी शाखा/अनुभाग का राजभाषा निरीक्षण नहीं किया गया है, कृपया कारण सूचित करें।
6. मद संख्या 11(8) एवं 12(8) के अनुसार हिन्दी में शत-प्रतिशत काम करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या 'शून्य' है जबकि मद संख्या 2(i)(ख) के अनुसार कार्यालय के प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या 42 है। कृपया हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपना शत-प्रतिशत कार्यालयी कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रेरित करें।
7. वर्ष के दौरान हिन्दी दिवस/ हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन नहीं किया गया है, कृपया कारण सूचित करें।

अतः निवेदन है कि उपर्युक्त कमियों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई कर इसकी मदवार अनुपालन रिपोर्ट यथासमय मुख्यालय भेजें। माननीय संसदीय राजभाषा समिति के द्वारा होने वाले निरीक्षण में संतोषजनक स्थिति बनाने रखने हेतु यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,
Digitally signed by
Shyam Kumar
Date: 28-06-2025
14:02:01
(श्याम कुमार)
संयुक्त निदेशक(राजभाषा)